

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11
 पत्रांक 254 / 12-1 . दिनांक, गोपेश्वर, जूलाई 11 /2017

सेवा मे,

वन संरक्षक,
 गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
 पौड़ी।

विषय:- जनपद यमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग के सम्बन्ध मे।

संदर्भ:-

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम मे अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रग्नाम का पत्रांक 1779/10 एल0ए0 दिनांक 06.07.2017 द्वारा उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव मे लगाई गई आपति का निराकरण निम्नानुराग किया गया है। :-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	In reply to point no- 2 it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-I. The muck disposal is proposed to be done on Nap land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B2.4 of online Part-I. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2& B-2.3 of online Part-I also.	(Answer point no-2 of eds) Non Forest land की प्रविधि para A-1 (ix) मे कर दी गई है और component wise Non Forest land की प्रविधि भी para B-2-1, B-2.2, B-2.3 मे कर दिया गया है।

अतः आप उक्त प्रकरण मे अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

महोदय,

(एन०एम०पाण्डे)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।